



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10102020-222334  
CG-DL-E-10102020-222334

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 508]  
No. 508]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 9, 2020/आश्विन 17, 1942  
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2020/ASVINA 17, 1942

गृह मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2020

**सा.का.नि. 620(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 75 की उपधारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, सहायक कमाण्डेंट, समूह (क) तकनीकी भर्ती नियम, 2010 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल में सहायक कमाण्डेंट (सहायक इंजीनियर सिविल/विद्युत), सहायक कमाण्डेंट (चिकित्सा अधिकारी पशु चिकित्सा/पशु चिकित्सा सहायक शल्य चिकित्सक) और सहायक कमाण्डेंट (संचार/दूरसंचार) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनिमयन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सहायक कमाण्डेंट (तकनीकी) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, भर्ती नियम, 2020 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आय-सीमा, अर्हताएं आदि.**— भर्ती की पद्धति, आय-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त /पूर्वोक्त अनुसूची के सतंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.**— यह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. सहायक कमाण्डेंट (सहायक इंजीनियर सिविल/ विद्युत)।	16* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (रु. 50100—177500)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।

(11)

#### प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केन्द्रीय पैरा मिलिट्री बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी :-

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर 8 रु.47600—151100 या समतुल्य पद नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर 2 वर्ष की सेवा की हो। या

(iii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर—7 रु.44900—142400 या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर 3 वर्ष की सेवा की हो, और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ताएँ और अनुभव रखते हो :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल या संरचना या विद्युत इंजीनियरिंग में बेचलर डिग्री, और

(ii) किसी मान्यताप्राप्त कार्यालय, या संगठन या संस्था से सिविल या संरचना या विद्युत कार्य के निष्पादन में 3 वर्ष का अनुभव।

**वांछनीय :** प्रोजेक्ट डिजाइनिंग जिसमें डाटा संरचनाओं की विरचना सम्मिलित है, डाटा फलो, रिपोर्ट डिजाइनिंग, पूर्ण सिस्टम डिजाइनिंग और सुरक्षित पर्यावरण के आधीन ऑनलाइन प्रोजेक्ट क्रियान्वयन में 1 वर्ष का अनुभव।

**टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

**टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सहित (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया 7 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 4 :** अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्टया योग्य और मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और एसी किसी शारीरिक कमी से मुक्त होना चाहिए जिससे कि कर्तव्यों को दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा डालने की सम्भावना हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. सहायक कमाण्डेंट (चिकित्सा अधिकारी पशु चिकित्सा / पशु चिकित्सा सहायक शल्य चिकित्सक)।	16* (2020)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (रु. 56100-177500)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक आहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): (क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केन्द्रीय पैरा मिलिट्री बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी :- (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 (रु.47600-151100) या समतुल्य पद नियमित आधार पर

नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर 2 वर्ष की सेवा की हो। या

(iii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (रु. 44900-142400) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर 3 वर्ष की सेवा की हो, और

(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएँ रखते हो :

(i) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् या राज्य पशु चिकित्सा परिषद् में रजिस्ट्रीकरण के साथ भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान या पशु पालन में बचलर डिग्री,

**टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

**टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सहित (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया 7 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 4 :** अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्टया योग्य और मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और एसी किसी शारीरिक कमी से मुक्त होना चाहिए जिससे कि कर्तव्यों को दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा डालने की सम्भावना हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. सहायक कमाण्डेंट (संचार/ दूरसंचार)।	16* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (रु. 56100-177500)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):

(क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केन्द्रीय पैरा मिलिट्री बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी :-

(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 (रु.47600—151100) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर 2 वर्ष की सेवा की हो। या

(iii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (रु.44900—142400) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् इस पद पर 3 वर्ष की सेवा की हो और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हो :

(i) जिनके पास किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विद्युत/संचार इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से रेडियो और टेलीविजन प्रौद्योगिकी या इलैक्ट्रीनिक्स या इंजीनियरी संचार या कम्प्यूटर या विद्युत या यांत्रित इंजीनियरी या स्वदेशी साधित्र में डिप्लोमा हो।

(ii) किसी मान्यताप्राप्त कार्यालय में संचार कार्यों के निष्पादन का 2 वर्ष का अनुभव हो।

**टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

**टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सहित (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया 7 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति अल्प कालिक अवधि सहित द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 4 :** अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्ट या योग्य और मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और एसी किसी शारीरिक कमी से मुक्त होना चाहिए जिसमें कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन में बाधा पड़ने की संभावना हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

[फा.सं. 1-3/2017-एन.डी.आर.एफ.]

आशिष कुमार सिंह, अवर सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2020

**G.S.R. 620(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of section 75 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005) read with rule 3 of the National Disaster Response Force Rules, 2008 and in supersession of the National Disaster Response Force, Group 'A' Technical posts Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Commandant (Assistant Engineer Civil/Electrical), Assistant Commandant (Medical Officer Veterinary/ Veterinary Assistant Surgeon) and Assistant Commandant (Communication/Telecom) in the National Disaster Response Force under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Disaster Response Force, Assistant Commandant (Technical) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** – The number of posts, their classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.** – No person -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, *ex-servicemen* and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Assistant Commandant (Assistant Engineer Civil/Electrical).	16*(2020) *Subject to variation dependent on workload	Not applicable.	Level 10 in the pay matrix Rs. 56100 - 177500.	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By deputation (including short-term contract).	Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations— (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or

	<p>(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 8 in pay matrix Rs. 47600 – 151100 or equivalent in the parent cadre or Department; or</p> <p>with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 7 in pay matrix Rs. 44900 – 142400 or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience :</p> <p>(i) Bachelor Degree in Civil or Structural or Electrical Engineering from a recognised University or Institute; and</p> <p>(ii) three years' experience in execution of civil or structural or electrical works in a recognised office or organisation or institution.</p> <p><b>Desirable:</b> One year experience in project designing including framing data structures; data flow; report designing; complete system designing and online project implementation on the servers under secured environment</p> <p><b>Note 1:</b> The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 4: The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties</p>
--	---

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.

Name of the post.	Number of posts.	Classification	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant Commandant (Medical Officer Veterinary/ Veterinary Assistant Surgeon).	16* (2020) *Subject to variation dependent on work load.	Not applicable.	Level 10 in the pay matrix Rs. 56100 – 177500.	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(10)	(11)
By deputation (including short-term contract).	<p>Deputation (including short-term contract):</p> <p>(a) Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations—</p> <p>(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 8 in pay matrix Rs. 47600 – 151100 or equivalent in the parent cadre or Department; or</p> <p>with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 7 in pay matrix Rs. 44900 – 142400 or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications:—</p> <p>Bachelor Degree in Veterinary Science or Animal Husbandry from a recognised University included in the First Schedule or Second Schedule to the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) with registration in the Veterinary Council of India or State Veterinary Council;</p> <p><b>Note 1:</b> The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 4:</b> The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties.</p>



If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.

Name of the post.	Number of posts.	Classification	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Assistant Commandant (Communication/Telecom).	16* (2020) *Subject to variation dependent on work load.	Not applicable.	Level 10 in the pay matrix Rs. 56100 – 177500.	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract): (a) Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations— (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 8 in pay matrix Rs. 47600 – 151100 or equivalent in the parent	Not applicable.	Not applicable.

<p>cadre or Department; or</p> <p>with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 7 in pay matrix Rs. 44900 – 142400 or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:—</p> <p>(i) Bachelor Degree in Electrical or Communication Engineering or equivalent from a recognised University or Institute or Diploma in Radio and Television Technology or Electronics or Telecommunication or Computer or Electrical or Mechanical Engineering or Domestic Appliances from a recognised University or Institute.</p> <p>(ii) two years' experience in execution of communication works in a recognised office.</p> <p><b>Note 1:</b> The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 4:</b> The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties</p>		
--	--	--

[F. No. 1-3/2017-NDRF]

ASHISH KUMAR SINGH, Under Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2020

**सा.का.नि.621(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल नियम, 2018 के नियम 3 के साथ पठित आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 75 की उपधारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, तकनीकी समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल में हैड कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल (रेडियो ऑपरेटर), हैड कांस्टेबल (गुप्त), हैड कांस्टेबल (रेडियो फिटर/रेडियो तकनीशियन), हैड कांस्टेबल (सहायक नर्सिंग/प्रसूति-विद्या), हैड कांस्टेबल (पैरामेडिक्स), हैड कांस्टेबल (तकनीशियन), हैड कांस्टेबल (विद्युत्तंत्री/बिजली मिस्त्री) और कांस्टेबल पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, स्तर-4 और स्तर-3 (तकनीकी पदों ) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त /पूर्वोक्त अनुसूची के सतंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता.**—यह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की भाक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. हैड कांस्टेबल।	64* (2020)  (1) बढई - 16 (2) बैल्डर - 16 (3) नलसाज -16 (4) राजमिस्त्री -16  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (रु.25500-81100)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों या केंद्रीय अथवा राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी :- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -3 (रु.21700-69100) या इसके सदृश इस श्रेणी में, नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखता हो :- (i) किसी मान्यता-प्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या समकक्ष पास हो, (ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या व्यवसायिक संस्थान से एक वर्षीय प्रमाण पत्र के साथ व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष का अनुभव। (iii) व्यवसाय में या उसी प्रकार के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से दो वर्षीय डिप्लोमा। <b>टिप्पण 1</b> : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सहित (अल्पकालिक संविदा सहित); साधारणतया 7 वर्ष से अधिक नहीं होगी। <b>टिप्पण 2</b> : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। <b>टिप्पण 3</b> : अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्टया योग्य और मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और एसी किसी शारीरिक कमी से मुक्त होना चाहिए जिससे कि कर्तव्यों को दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा डालने की सम्भावना हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. हैड कांस्टेबल (रिडियो आपरेटर)।	496* (2020)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (रु. 25500-81100)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों या केंद्रीय अथवा राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी जो : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -3 (रु.21700-69100) या इसके सदृश श्रेणी में, नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखता हो :- (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या समकक्ष पास हो, (ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्थान से रेडियो और टेलीविजन या इलेक्ट्रॉनिक्स या समकक्ष में दो वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र। <b>टिप्पण 1 :</b> प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सहित (अल्पकालिक संविदा सहित); साधारणतया 7 वर्ष से अधिक नहीं होगी। <b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। <b>टिप्पण 3:</b> अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्टया योग्य और मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और एसी किसी शारीरिक कमी से मुक्त होना चाहिए जिससे कि कर्तव्यों को दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा डालने की सम्भावना हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. हैड कांस्टेबल (गुप्त)।	16* (2020)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (रु.25500-81100)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों या केंद्रीय अथवा राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी जो : (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -3 (रु.21700-69100) या इसके सदृश श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखता हो :-

(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या समकक्ष पास हो,

(ii) किसी मान्यता कार्यालय या संगठन या संस्थान से इस क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।

**टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सहित (अल्पकालिक संविदा सहित); साधारणतया 7 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 3:** अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्टया योग्य और मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और एसी किसी शारीरिक कमी से मुक्त होना चाहिए जिससे कि कर्तव्यों को दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा डालने की सम्भावना हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. हैड कांस्टेबल (रेडियो फिटर/ रेडियो तकनीशियन)।	16* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (रु. 25500-81100)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रतिनियुक्ति ( अल्पकालिक संविदा सहित ): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों या केंद्रीय या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी जो :- (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -3 (रु.21700-69100)या इसके सदृश श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो , और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखता हो :- (i) किसी मान्यता-प्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या समकक्ष पास हो, (ii) किसी मान्यता बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्थान से रेडियो और टेलीविजन या इलेक्ट्रॉनिक्स में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का दो वर्ष का प्रमाणपत्र हो, (iii) किसी मान्यता-प्राप्त कार्यालय या संगठन या संस्थान से इस क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव । <b>टिप्पण 1 :</b> प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सहित (अल्पकालिक संविदा सहित); साधारणतया 7 वर्ष से अधिक नहीं होगी। <b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। <b>टिप्पण 3:</b> अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्टया योग्य और मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और एसी किसी शारीरिक कमी से मुक्त होना चाहिए जिससे कि कर्तव्यों को दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा डालने की सम्भावना हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. हैड कांस्टेबल (सहायक नर्सिंग/प्रसूति-विद्या)।	410* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (रु.25500-81100)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों या केंद्रीय या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी जो :- (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -3 (रु.21700-69100) या इसके सदृश श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखता हो :- (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य उत्तीर्ण ; (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सहायक नर्स प्रसूति विद्या में दो-वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा किया हो ; (iii) केन्द्रीय नर्सिंग परिषद या राज्य नर्सिंग परिषद से पंजीकृत हो। <b>वांछनीय:</b> किसी मान्यताप्राप्त कार्यालय या संस्थान से परिवार कल्याण में अनुभव और प्रशिक्षण। <b>टिप्पण 1 :</b> प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सहित (अल्पकालिक संविदा सहित), साधारणतया 7 वर्ष से अधिक नहीं होगी। <b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। <b>टिप्पण 3 :</b> अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्ट्या योग्य और मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और एसी किसी शारीरिक कमी से मुक्त होना चाहिए जिससे कि कर्तव्यों को दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा डालने की सम्भावना हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. हैड कांस्टेबल (पैरामेडिक्स)।	246* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (रू.25500-81100)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों या केंद्रीय या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी जो :- (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -3 (रू.21700-69100) या इसके सदृश श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखता हो :- (iv) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य उत्तीर्ण ; (v) जिसके पास किसी सेना या केन्द्रीय पैरा-मेडिकल फोर्सेस या मान्यता प्राप्त अस्पताल या संस्थान से अर्हित नर्सिंग सहायक एडवांस/मैडिसिन कोर्स के सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र हो; <b>या</b> (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से फार्मैसी में डिप्लोमा; (ii) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) के अधीन फार्मासिट के रूप में रजिस्ट्रीकृत ; वांछनीय किसी मान्यताप्राप्त कार्यालय या संस्थान या अस्पताल में कार्य करने का अनुभव और प्रशिक्षण। <b>टिप्पण 1</b> : प्रतिनियुक्ति ( अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सहित (अल्पकालिक संविदा सहित); साधारणतया 7 वर्ष से अधिक नहीं होगी। <b>टिप्पण 2</b> : प्रतिनियुक्ति ( अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। <b>टिप्पण 3</b> : अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्ट्या योग्य और मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और एसी किसी शारीरिक कमी से मुक्त होना चाहिए जिससे कि कर्तव्यों को दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा डालने की सम्भावना हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।



पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. हैड कांस्टेबल (तकनीशियन)।	288* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (रु. 25500-81100)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों या केंद्रीय अथवा राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी जो:- (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -3 (रु.21700-69100)या इसके सदृश श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखता हो :- (i) किसी मान्यता-प्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या समकक्ष पास हो, (ii) किसी मान्यता-प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्थान से लुहार या फिटर यांत्रिक या उपकरण या मोटर या इंजन मैकेनिक्स या इनके समकक्ष जैसे व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का दो वर्ष का प्रमाण पत्र , और (iii) मान्यताप्राप्त कार्यालय से अपने-अपने व्यवसाय में तीन वर्षों का अनुभव। <b>टिप्पण 1 :</b> प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सहित (अल्पकालिक संविदा सहित), साधारणतया 7 वर्ष से अधिक नहीं होगी। <b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। <b>टिप्पण 3 :</b> अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्ट्या योग्य और मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और एसी किसी शारीरिक कमी से मुक्त होना चाहिए जिससे कि कर्तव्यों को दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा डालने की सम्भावना हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. हैड कांस्टेबल (बिजली मिस्त्री)।	288* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (रु. 25500-81100)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों या केंद्रीय अथवा राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी जो :- (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (रू.21700-69100) या इसके सदृश श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखता हो :- (i) किसी मान्यता-प्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या समकक्ष पास हो, (ii) किसी मान्यता-प्राप्त संस्थान से बिजली मिस्त्री व्यवसाय में औद्योगिक संस्थान से दो वर्ष का प्रमाण पत्र, (iii) मान्यताप्राप्त कार्यालय या संगठन या संस्थान से इस क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव। <b>टिप्पण 1 :</b> प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सहित (अल्पकालिक संविदा सहित); साधारणतया 7 वर्ष से अधिक नहीं होगी। <b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। <b>टिप्पण 3 :</b> अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्ट्या योग्य और मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और एसी किसी शारीरिक कमी से मुक्त होना चाहिए जिससे कि कर्तव्यों को दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा डालने की सम्भावना हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. कांस्टेबल।	160* (2020) (1) बढई - 32 (2) बैल्डर - 16 (3) नलसाज -32 (4) राजमिस्त्री -32 (5) मोची - 16 (6) दर्जी - 16 (7) पेंटर - 16 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 3 (रू. 21700-69100)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों या केंद्रीय या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी जो : (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) मान्यताप्राप्त कार्यालय या संगठन या संस्थान से इस क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव। (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखता हो :- (i) किसी मान्यता-प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष पास हो, (ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या व्यवसायिक संस्थान से एक वर्षीय प्रमाण पत्र के साथ व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष का अनुभव। (iii) व्यवसाय में या उसी प्रकार के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से दो वर्षीय डिप्लोमा। <b>टिप्पण 1</b> : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सहित (अल्पकालिक संविदा सहित), साधारणतया 7 वर्ष से अधिक नहीं होगी। <b>टिप्पण 2</b> : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। <b>टिप्पण 3</b> : अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्टया योग्य और मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और एसी किसी शारीरिक कमी से मुक्त होना चाहिए जिससे कि कर्तव्यों को दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा डालने की सम्भावना हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

[फा.सं. 1-3/2017-एनडीआरएफ]

आशिष कुमार सिंह, अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th October, 2020

**G.S.R. 621(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of section 75 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005) read with rule 3 of the National Disaster Response Force Rules, 2008 and in supersession of the National Disaster Response Force, Technical Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Head Constable, Head Constable (Radio Operator), Head Constable (Crypto), Head Constable (Radio Fitter/Radio Technician), Head Constable (Auxiliary Nursing/Midwifery), Head Constable (Paramedics), Head Constable (Technician), Head Constable (Electrician) and Constable in the National Disaster Response Force under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Disaster Response Force, Level 4 and Level 3 (Technical posts) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**—The number of posts, their classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, *ex-servicemen* and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Head Constable.	64*(2020) (1) Carpenter - 16 (2) Welder - 16 (3) Plumber - 16 (4) Mason - 16 *Subject to variation dependent on workload	Not applicable.	Level 4 in the pay matrix Rs. 25500 - 81100.	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(10)	(11)
By deputation (including short-term contract).	Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations,— (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 3 in pay matrix Rs. 21700 – 69100 or equivalent in the parent cadre or Department. (b) possessing the following educational qualifications and

	<p>experience:—</p> <p>(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board;</p> <p>(ii) One year certificate course from Industrial Training Institute or Vocational Training with at least one year experience in the trade; or</p> <p>(iii) two years Diploma from Industrial Training Institute in the trade or similar trade.</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 3:</b> The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties.</p>
--	---

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Head Constable (Radio Operator).	496* (2020) *Subject to variation dependent on work load.	Not applicable.	Level 4 in the pay matrix Rs. 25500 - 81100	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(10)	(11)
By deputation (including short-term contract).	<p>Deputation (including short-term contract):</p> <p>(a) Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations,—</p> <p>(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 3 in pay matrix Rs. 21700 – 69100 or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and</p>

	<p>experience:—</p> <p>(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board;</p> <p>(ii) two years' Industrial Training Institute certificate in Radio and Television or Electronics or equivalent from a recognised Board or University or Institute.</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 3:</b> The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties</p>
--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Head Constable (Crypto).	16* (2020) *Subject to variation dependent on work load.	Not applicable.	Level 4 in the pay matrix Rs. 25500 - 81100.	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p>Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations,—</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 3 in pay matrix Rs. 21700 – 69100 or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications:—</p> <p>(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board;</p> <p>(ii) two years' experience in the field from a recognised office or organisation or institution.</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 3:</b> The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties.</p>	Not applicable.	Not applicable.

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Head Constable (Radio Fitter/Radio Technician).	16* (2020) *Subject to variation dependent on work load.	Not applicable.	Level 4 in the pay matrix Rs. 25500 - 81100.	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p>Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations,—</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 3 in pay matrix Rs. 21700 – 69100 or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:—</p> <p>(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board;</p> <p>(ii) two years' Industrial Training Institute certificate in Radio and Television or Electronics or equivalent from a recognised Board or University or Institute; or</p> <p>(iii) two years' experience in the field from a recognised office or organisation or institution.</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 3:</b> The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties.</p>	Not applicable.	Not applicable.



Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Head Constable (Auxiliary Nurse/Midwifery).	410* (2020) *Subject to variation dependent on work load.	Not applicable.	Level 4 in the pay matrix Rs. 25500 - 81100	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p>Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations,—</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 3 in pay matrix Rs. 21700 – 69100 or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications:—</p> <p>(i) 10+2 or equivalent pass from a recognised Board or University; (ii) Two years certificate course in Auxiliary Nurse Midwifery from a recognised Institute. (iii) Registered in the Nursing Council of Central Government or State Government.</p> <p><b>Desirable:</b> Experience and training in family welfare from any recognised office or institution.</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-</p>	Not applicable.	Not applicable.

term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications. <b>Note 3:</b> The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties.		
---	--	--

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Head Constable (Paramedics).	246* (2020) *Subject to variation dependent on work load.	Not applicable.	Level 4 in the pay matrix Rs. 25500 – 81100.	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations,— (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 3 in pay matrix Rs. 21700 – 69100 or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications:— (i) 12 <sup>th</sup> Class pass or equivalent pass from a recognised Board or University; (ii) Having certificate of successful completion of qualified Nursing Assistant/Advance Medic Course from Army or Central Para Medical Forces recognized Hospital or Institution. Or		Not applicable.

<p>(i) Diploma in Pharmacy from a recognised Institute.</p> <p>(ii) Shall be registered as “Pharmacist” under the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948).</p> <p><b>Desirable:</b> Experience and training in recognised office or institution or Hospital.</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 3:</b> The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties.</p>		
--	--	--

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. Head Constable (Technician).	288* (2020) *Subject to variation dependent on work load.	Not applicable.	Level 4 in the pay matrix Rs. 25500 – 81100.	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations,— (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or	Not applicable.	Not applicable.

<p>(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 3 in pay matrix Rs. 21700 – 69100 or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:—</p> <p>(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board;</p> <p>(ii) two years' Industrial Training Institute certificate in Blacksmith or Fitter Mechanists or Instrumentation or Motor or Engine Mechanics or equivalent from a recognised Board or University or Institute; and</p> <p>(iii) three years' experience in respective trade in a recognised office.</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 3:</b> The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties.</p>		
---	--	--

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. Head Constable (Electrician)	288* (2020) *Subject to variation dependent on work load.	Not applicable.	Level 4 in the pay matrix Rs. 25500 – 81100.	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p><b>Deputation (including short-term contract):</b> Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations,—</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 3 in pay matrix Rs. 21700 – 69100 or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications:—</p> <p>(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board; and</p> <p>(ii) two years' Industrial Institute certificate in Electrician trade from a recognised Institute;</p> <p>(iii) two years' experience in the field from a recognised office or organisation or institution.</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 3:</b> The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties.</p>	Not applicable.	Not applicable.

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. Constable.	160* (2020) (1) Carpenter - 32 (2) Welder - 16 (3) Plumber - 32 (4) Mason - 32 (5) Cobbler - 16 (6) Tailor - 16 (7) Painter - 16 *Subject to variation dependent on work load.	Not applicable.	Level 3 in the pay matrix Rs. 21700 - 69100.	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p><b>Deputation (including short-term contract):</b> Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations,—</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) two years' experience in the field from a recognised office or organisation or institution.</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:—</p> <p>(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board;</p> <p>(ii) One year certificate course from Industrial Training Institute or Vocational Training with at least one year experience in the trade; or</p> <p>(iii) two years Diploma from Industrial Training Institute in the trade or similar trade.</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 3:</b> The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties.</p>	Not applicable.	Not applicable.

[F. No. 1-3/2017-NDRF]

ASHISH KUMAR SINGH, Under Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2020

**सा.का.नि. 622(अ).**—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 75 की उपधारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल समूह 'ख' तकनीकी पद भर्ती नियम, 2010 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल में निरीक्षक (कनिष्ठ इंजीनियर), निरीक्षक (भेषजज्ञ), निरीक्षक (रेडियो आपरेटर), निरीक्षक (रेडियो मैकेनिक/कनिष्ठ विद्युत तकनीशियन), (भेषजज्ञ), उप निरीक्षक (मोटर मैकेनिक), उप निरीक्षक (पशु चिकित्सा), उप निरीक्षक (कनिष्ठ इंजीनियर सिविल/संरचना), उप निरीक्षक (कनिष्ठ इंजीनियर विद्युत), उप निरीक्षक (रेडियो आपरेटर) और उप निरीक्षक (रेडियो मैकेनिक/कनिष्ठ विद्युत/दूरसंचार तकनीशियन) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल स्तर 7 और स्तर 6 (तकनीकी पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पदों का नाम, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स के स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता :** वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति :** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा केंद्रीय सरकार से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. निरीक्षक (कनिष्ठ इंजीनियर)	17* (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 44900-142400/- रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेसन किया जाएगा
(11)
<p><b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :</b> केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी--</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6, 35,400-112,400 रु. या समतुल्य के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो ; और</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों :-- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल या संरचना या इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरी में तीन वर्ष का डिप्लोमा या समतुल्य ; और किसी मान्यताप्राप्त कार्यालय या संगठन या संस्थान से सिविल या संरचना कार्य के निष्पादन में दो वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1--</b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया सात वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2--</b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को पैंतालीस वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3--</b>अभ्यर्थियों को चिकित्सीय रूप से योग्य होना चाहिए तथा उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उनका ऐसी शारीरिक दुर्बलता से मुक्त होना चाहिए, जिससे कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता



पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. निरीक्षक (भेषजज्ञ)	16* (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 44900- 142400/- रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेसन किया जाएगा
(11)
<p><b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :</b> केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी--</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6, 35,400-112,400 रु. या समतुल्य के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो ; और</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों :--</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से भेषजी में डिप्लोमा और भेषजी अधिनियम, 1948 के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकृत ; और (ii) किसी मान्यताप्राप्त कार्यालय या संगठन या संस्थान से भेषजज्ञ के रूप में दो वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1--</b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया सात वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2--</b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को पैंतालीस वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3--</b>अभ्यर्थियों को चिकित्सीय रूप से योग्य होना चाहिए तथा उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उनका ऐसी शारीरिक दुर्बलता से मुक्त होना चाहिए, जिससे कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. निरीक्षक (रेडियो आपरेटर)	17* (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 44900- 142400/- रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
<p><b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :</b> केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी--</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6, 35,400-112,400 रु. या समतुल्य के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो ; और</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों :--</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण ; (ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्थान से रेडियो और टेलीविजन या इलैक्ट्रॉनिकी में दो वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र या समतुल्य ; (iii) किसी मान्यताप्राप्त कार्यालय या संगठन या संस्थान से क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1--</b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया सात वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2--</b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को पैंतालीस वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3--</b>अभ्यर्थियों को चिकित्सीय रूप से योग्य होना चाहिए तथा उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उनका ऐसी शारीरिक दुर्बलता से मुक्त होना चाहिए, जिससे कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. निरीक्षक (रेडियो मैकेनिक/कनिष्ठ विद्युत तकनीशियन)	17* (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 44900-142400/- रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(11)

**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :**

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी--

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6, 35,400-112,400 रु. या समतुल्य के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो ; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :--

(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण ; और

(ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्थान से रेडियो और टेलीविजन प्रौद्योगिकी या इलैक्ट्रानिकी या दूरसंचार या कम्प्यूटर या विद्युत या यांत्रिक इंजीनियरी या स्वदेशी साधित्र में दो वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र ;

(iii) किसी मान्यताप्राप्त कार्यालय या संगठन या संस्थान से क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।

**टिप्पण 1--**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया सात वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 2--**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को पैंतालीस वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 3--**अभ्यर्थियों को चिकित्सीय रूप से योग्य होना चाहिए तथा उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उनका ऐसी शारीरिक दुर्बलता से मुक्त होना चाहिए, जिससे कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. उप निरीक्षक (भेषजज्ञ)	65* (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 35400-112400/- रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
<p><b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :</b></p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी--</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5, 29,200-92,300 रु. या समतुल्य के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो ; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4, 25,500-81,100 रु. या समतुल्य के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो ; और</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :--</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य उत्तीर्ण ;</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से भेषजी में डिप्लोमा और भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकृत ;</p> <p>(iii) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) के अधीन भेषजज्ञ के रूप में सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल या फार्मसी में भेषजज्ञ के रूप में दो वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1--</b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया सात वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

**टिप्पण 2**—प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को पैंतालीस वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 3**—अभ्यर्थियों को चिकित्सीय रूप से योग्य होना चाहिए तथा उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उनका ऐसी शारीरिक दुर्बलता से मुक्त होना चाहिए, जिससे कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. उप निरीक्षक (मोटर मैकेनिक)	16* (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 35400-112400/- रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेहन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेहन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेहन किया जाएगा
(11)
<b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :</b> केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी-- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5, 29,200-92,300 रु. या समतुल्य के पदों पर नियमिति आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो ; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4, 25,500-81,100 रु. या समतुल्य के पदों पर नियमिति आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो ; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों :-- किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्थान से आटो मोबाइल इंजीनियरी या यांत्रिक इंजीनियरी या आटो विद्युत इंजीनियरी में तीन वर्ष का डिप्लोमा।
<b>टिप्पण 1</b> —प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी

अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया सात वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 2**--प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को पैंतालीस वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 3**--अभ्यर्थियों को चिकित्सीय रूप से योग्य होना चाहिए तथा उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उनका ऐसी शारीरिक दुर्बलता से मुक्त होना चाहिए, जिससे कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. उप निरीक्षक (पशु चिकित्सा)	16* (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 35400-112400/- रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
<b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :</b> केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी-- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5, 29,200-92,300 रु. या समतुल्य के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो ; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4, 25,500-81,100 रु. या समतुल्य के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो ; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों :-- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पशु चिकित्सा और पशुधन विकास या पशु चिकित्सा स्टॉक सहायता पाठ्यक्रम या पशुपालन पाठ्यक्रम में डिप्लोमा ;

(ii) किसी मान्यताप्राप्त पशु अस्पताल से पशुओं, विशेषतः घोड़ों और कुत्तों की विभिन्न जातियों के इलाज के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव और पशु अस्पताल और डिस्पेंसरी के प्रबंधन और संचालन में सक्षम होना चाहिए।

**टिप्पण 1**--प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया सात वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 2**--प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को पैंतालीस वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 3**--अभ्यर्थियों को चिकित्सीय रूप से योग्य होना चाहिए तथा उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उनका ऐसी शारीरिक दुर्बलता से मुक्त होना चाहिए, जिससे कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. उप निरीक्षक (कनिष्ठ इंजीनियर सिविल/संरचना)	289* (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 35400-112400/- रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेदन किया जाएगा
(11)
<b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :</b> केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी-- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5, 29,200-92,300 रु. या समतुल्य के पदों पर नियमिति आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो ; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4, 25,500-81,100 रु. या समतुल्य के पदों पर नियमिति आधार

पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो ; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :--

(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण ;

(ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरी या संरचना इंजीनियरी में डिप्लोमा ;

(iii) किसी मान्यताप्राप्त कार्यालय या संगठन या संस्थान से सिविल या संरचना कार्य के निष्पादन में दो वर्ष का अनुभव ।

**टिप्पण 1**--प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया सात वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

**टिप्पण 2**--प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को पैंतालीस वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

**टिप्पण 3**--अभ्यर्थियों को चिकित्सीय रूप से योग्य होना चाहिए तथा उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उनका ऐसी शारीरिक दुर्बलता से मुक्त होना चाहिए, जिससे कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. उप निरीक्षक (कनिष्ठ इंजीनियर विद्युत)	288* (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 35400-112400/- रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेसन किया जाएगा
(11)
<b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :</b> केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी-- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या



(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5, 29,200-92,300 रु. या समतुल्य के पदों पर नियमिति आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो ; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4, 25,500-81,100 रु. या समतुल्य के पदों पर नियमिति आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो ; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :--

(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण ;

(ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्थान से विद्युत इंजीनियरी में डिप्लोमा ;

(iii) किसी मान्यताप्राप्त कार्यालय या संगठन या संस्थान में विद्युत पर्यवेक्षक के रूप में दो वर्ष का अनुभव ।

**टिप्पण 1**--प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया सात वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

**टिप्पण 2**--प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को पैंतालीस वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

**टिप्पण 3**--अभ्यर्थियों को चिकित्सीय रूप से योग्य होना चाहिए तथा उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उनका ऐसी शारीरिक दुर्बलता से मुक्त होना चाहिए, जिससे कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. उप निरीक्षक (रेडियो आपरेटर)	320* (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 35400-112400/- रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

<b>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा</b>
<b>(11)</b>
<p><b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :</b>  केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी--</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या  (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5, 29,200-92,300 रु. या समतुल्य के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो ; या  (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4, 25,500-81,100 रु. या समतुल्य के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो ; और</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :--</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण ;  (ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्थान से रेडियो और टेलीविजन या इलैक्ट्रानिकी या समतुल्य में दो वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र या समतुल्य ;  (iii) किसी मान्यताप्राप्त कार्यालय या संगठन या संस्थान से क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव ।</p> <p><b>टिप्पण 1--</b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया सात वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p><b>टिप्पण 2--</b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को पैंतालीस वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p><b>टिप्पण 3--</b>अभ्यर्थियों को चिकित्सीय रूप से योग्य होना चाहिए तथा उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उनका ऐसी शारीरिक दुर्बलता से मुक्त होना चाहिए, जिससे कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो ।</p>

<b>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना</b>	<b>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</b>
<b>(12)</b>	<b>(13)</b>
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. उप निरीक्षक (रेडियो मैकेनिक/कनिष्ठ विद्युत/दूरसंचार तकनीशियन)	32* (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	लागू नहीं होता	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 35400-112400/- रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
<p><b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :</b></p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी--</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5, 29,200-92,300 रु. या समतुल्य के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो ; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4, 25,500-81,100 रु. या समतुल्य के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो ; और</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :--</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण ;</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्थान से रेडियो और टेलीविजन या इलैक्ट्रानिकी या दूरसंचार या कम्प्यूटर या विद्युत या यांत्रिक इंजीनियरी या स्वदेशी साधित्र या समतुल्य में दो वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र ;</p> <p>(iii) किसी मान्यताप्राप्त कार्यालय या संगठन या संस्थान से क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1--</b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया सात वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2--</b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को पैंतालीस वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3--</b>अभ्यर्थियों को चिकित्सीय रूप से योग्य होना चाहिए तथा उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उनका ऐसी शारीरिक दुर्बलता से मुक्त होना चाहिए, जिससे कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[फा.सं. 1-3/2017-एनडीआरएफ़]

आशिष कुमार सिंह, अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th October, 2020

**G.S.R. 622(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of section 75 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005) read with rule 3 of the National Disaster Response Force Rules, 2008 and in supersession of the National Disaster Response Force, Group 'B' Technical Posts Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Inspector (Junior Engineer), Inspector (Pharmacist), Inspector (Radio Operator), Inspector (Radio Mechanic/Junior Electrical Technician), Sub Inspector (Pharmacist), Sub Inspector (Motor Mechanic), Sub Inspector (Veterinary), Sub-Inspector (Junior Engineer Civil/Structural), Sub Inspector (Junior Engineer Electrical), Sub Inspector (Radio Operator) and Sub Inspector (Radio Mechanic/Junior Electrical/Telecommunication Technician) in the National Disaster Response Force under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Disaster Response Force, Level 7 and Level 6 (Technical posts) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** – The number of posts, their classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.** – No person -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, *ex-servicemen* and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Inspector (Junior Engineer).	17*(2020) *Subject to variation dependent on workload	Not applicable.	Level 7 in the pay matrix Rs. 44900 - 142400.	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(10)	(11)
By deputation (including short-term contract).	Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations,— (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 6 in pay matrix Rs. 35400 – 112400 or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications:— Three years' Diploma in Civil or Structural or Electrical Engineering or equivalent from a recognised University or Institute; and two years' experience in execution of civil or structural works from a recognised office or organisation or institution. <b>Note 1:</b> The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years. <b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications. <b>Note 3:</b> The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Inspector (Pharmacist).	16* (2020) *Subject to variation dependent on work load.	Not applicable.	Level 7 in the pay matrix Rs. 44900–142400.	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(10)	(11)
By deputation (including short-term contract).	<p>Deputation (including short-term contract):</p> <p>(a) Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations,—</p> <p>(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 6 in the pay matrix Rs. 35400 – 112400 or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications:—</p> <p>(i) Diploma in Pharmacy from a recognised University or Board and registered as Pharmacist under the Pharmacy Act, 1948; and</p> <p>(ii) two years' experience as Pharmacist in a recognised office or organisation or institution..</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 3:</b> The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Inspector (Radio Operator).	17* (2020) *Subject to variation dependent on work load.	Not applicable.	Level 7 in the pay matrix Rs. 44900 – 142400.	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p><b>Deputation (including short-term contract):</b></p> <p>Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations,—</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 6 in the pay matrix Rs. 35400 - 112400 or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications:—</p> <p>(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board;</p> <p>(ii) two years' Industrial Training Institute certificate in Radio and Television or Electronics or equivalent from a recognised Board or University or Institute;</p> <p>(iii) two years' experience in the field from a recognised office or organisation or institution.</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 3:</b> The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties.</p>	Not applicable.	Not applicable.

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Inspector (Radio Mechanic/Junior Electrical Technician).	17* (2020) *Subject to variation dependent on work load.	Not applicable.	Level 7 in the pay matrix Rs. 44900 – 142400.	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p>Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations,—</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 6 in the pay matrix Rs. 35400 - 112400 or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:—</p> <p>(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board; and</p> <p>(ii) two years' Industrial Training Institute certificate in Radio and Television Technology or Electronics or Telecommunication or Computer or Electrical or Mechanical or Domestic Electronic Appliances from a recognised Board or University or Institute;</p> <p>(iii) two years' experience in the field from a recognised office or organisation or institution.</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held</p>	Not applicable.	Not applicable.



<p>immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 3:</b> The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties.</p>		
--	--	--

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Sub Inspector (Pharmacist).	65* (2020) *Subject to variation dependent on work load.	Not applicable.	Level 6 in the pay matrix Rs. 35400 – 112400.	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p>Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations,— (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 5 in the pay matrix Rs. 29200 - 92300 or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) with ten years' service in the grade</p>	Not applicable.	Not applicable.

<p>rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 4 in the pay matrix Rs. 25500 - 81100 or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:—</p> <p>(i) 12<sup>th</sup> Class pass or equivalent pass from a recognised Board or University;</p> <p>(ii) diploma in Pharmacy from a recognised Institute and registered as a Pharmacist under the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948);</p> <p>(iii) two years' experience as Pharmacist in any recognised Hospital or Pharmacy after duly registered as a Pharmacist under the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948).</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 3:</b> The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties.</p>		
---	--	--

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Sub Inspector (Motor Mechanic).	16* (2020) *Subject to variation dependent on work load.	Not applicable.	Level 6 in the pay matrix Rs. 35400 – 112400.	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p>Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations,—</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 5 in the pay matrix Rs. 29200 - 92300 or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 4 in the pay matrix Rs. 25500 - 81100 or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications:—</p> <p>Three years diploma in Auto Mobile Engineering or Mechanical Engineering or Auto Electrical Engineering from a recognised Board or University or Institute.</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 3: The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties.</p>	Not applicable.	Not applicable.

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. Sub Inspector (Veterinary).	16* (2020) *Subject to variation dependent on work load.	Not applicable.	Level 6 in the pay matrix Rs. 35400 – 112400.	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p><b>Deputation (including short-term contract):</b> Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations,—</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 5 in the pay matrix Rs. 29200 - 92300 or equivalent in the parent cadre or Department; or</p> <p>(iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 4 in the pay matrix Rs. 25500 - 81100 or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications:—</p> <p>(i) Diploma in Veterinary and Livestock Development or Veterinary Stock Assistant Course or Animal Husbandry Course from a recognised University or Institute; and</p> <p>(ii) two years' field experience in the treatment of various species of animals particularly equine and canine from any recognised veterinary hospital and able to manage or run veterinary hospital or dispensary.</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 3:</b> The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties.</p>	Not applicable.	Not applicable.

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. Sub Inspector (Junior Engineer Civil/Structural)	289* (2020) *Subject to variation dependent on work load.	Not applicable.	Level 6 in the pay matrix Rs. 35400 – 112400.	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p><b>Deputation (including short-term contract):</b> Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations,—</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 5 in the pay matrix Rs. 29200 - 92300 or equivalent in the parent cadre or Department; or</p> <p>(iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 4 in the pay matrix Rs. 25500 - 81100 or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:—</p> <p>(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board;</p> <p>(ii) diploma in Civil Engineering or Structural Engineering from a recognised Board or University or Institute;</p> <p>(iii) two years' experience in</p>	Not applicable.	Not applicable.

<p>execution of civil or structural works from a recognised office or organisation or institution.</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 3:</b> The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties.</p>		
---	--	--

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. Sub Inspector (Junior Engineer Electrical).	288* (2020) *Subject to variation dependent on work load.	Not applicable.	Level 6 in the pay matrix Rs. 35400 – 112400.	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations,— (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or	Not applicable.	Not applicable.

<p>(ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 5 in the pay matrix Rs. 29200 - 92300 or equivalent in the parent cadre or Department; or</p> <p>(iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 4 in the pay matrix Rs. 25500 - 81100 or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:—</p> <p>(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board;</p> <p>(ii) diploma in Electrical Engineering from a recognised Board or University or Institute;</p> <p>(iii) two years' experience as electrical supervisor in a recognised office or organisation or institution.</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 3:</b> The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties.</p>	
--	--

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. Sub Inspector (Radio Operator).	320* (2020) *Subject to variation dependent on work load.	Not applicable.	Level 6 in the pay matrix Rs. 35400 – 112400.	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By Deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<b>Deputation (including short-term contract):</b> Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military	Not applicable.	Not applicable.

<p>Forces or Central Police organisations or State Police Organisations,—</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 5 in the pay matrix Rs. 29200 - 92300 or equivalent in the parent cadre or Department; or</p> <p>(iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 4 in the pay matrix Rs. 25500 - 81100 or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:—</p> <p>(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board;</p> <p>(ii) two years' Industrial Training Institute certificate in Radio and Television or Electronics or equivalent from a recognised Board or University or Institute;</p> <p>(iii) two years' experience in the field from a recognised office or organisation or institution.</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 3:</b> The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties.</p>	
--	--

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. Sub Inspector (Radio Mechanic/Junior Electrical/Telecommunication/Technician).	32* (2020) *Subject to variation dependent on work load.	Not applicable.	Level 6 in the pay matrix Rs. 35400–112400.	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).



In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p><b>Deputation (including short-term contract):</b> Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations,—</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 5 in the pay matrix Rs. 29200 - 92300 or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 4 in the pay matrix Rs. 25500 - 81100 or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:—</p> <p>(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board;</p> <p>(ii) two years' Industrial Training Institute certificate in Radio and Television or Electronics or Telecommunication or Computer or Electrical or Mechanical or Domestic Appliances or equivalent from a recognised Board or University or Institute;</p> <p>(iii) two years' experience in the field from a recognised office or organisation or institution.</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 3:</b> The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties.</p>	Not applicable.	Not applicable.

[F. No. 1-3/2017-NDRF]

ASHISH KUMAR SINGH, Under Secy.